न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :–97 / 2021–22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

श्री दामु कन्डूलना – विक्रेता

श्रीमती सिलवन्ती बारला – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
05.10.21	(see order below)	

आदेश

आवेदक श्री दामु कन्डूलना पिता बरना कन्डूलना ग्राम–कुंजला, थाना मुरहू, जिला खूँटी ने श्रीमती सिलवन्ती बारला पति श्री प्रसन बारला ग्राम–भोण्डा, पो0–जलटण्डा, थाना मुरहू, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)
पाण्डू	248	49	1712	0.15

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद 1492601425 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, मुरहू के पत्रांक 771 दिनांक 04.10.2021 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री केवाला पट्टा सं0 569 दिनांक 28.06.12 से क्रय की गयी है। खतियानी रैयत का नाम डिम्बु पाहन वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार दामु कन्डुलना के नाम भूमि का 0.15 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 2.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित 17239.00(सत्तरह हजार दो सौ उनचालीस)रू0 प्रति डीसमिल है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.50 एकड़ रह जाती है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना मुरहू के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, मुरहू ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, मुरहू से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण श्री दामु कन्डूलना पिता बरना कन्डूलना को श्रीमती सिलवन्ती बारला पति श्री प्रसन बारला के साथ ग्राम पाण्डु के खाता सं0 49 खेसरा संख्या 1712 कुल रकबा 0.15 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 17239.00(सत्तरह हजार दो सौ उनचालीस)रू0 प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, मुरहू के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.11.07 22:27:30 -08:00
Location: 192.168.1.2

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।